



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012022-232454
CG-DL-E-06012022-232454

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63]
No. 63]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2022/पौष 15, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2022/PAUSHA 15, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2022

का.आ. 64 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के साम्बा जिले में नव प्रस्तावित NE5 दिल्ली- लुधियाना - अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के कि.मी. 475.7 से कि.मी.500.6 (सांबा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपायुक्त सांबा (प्रशासन कॉम्प्लेक्स सांबा) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के साम्बा जिले में नव प्रस्तावित NE5 दिल्ली- लुधियाना -अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के कि.मी. 475.7 से कि.मी. 500.6 (सांबा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: साम्बा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: विजयपुर					
गांव का नाम: बगला					
1	1008	निजी	कृषि/दुकानें/रास्ता	0.0539000(हेक्टेयर)	0.0539000
2	1009	निजी	कृषि/दुकानें	0.0569000(हेक्टेयर)	0.0569000
3	1014	निजी	कृषि/रास्ता/दुकानें/मकान	0.0341400(हेक्टेयर)	0.0341400
4	1031	निजी	चारदीवारी और दुकानें	0.1745000(हेक्टेयर)	0.1745000
5	1043	निजी	गैर कृषि	0.5007420(हेक्टेयर)	0.5007420
6	1092	निजी	कृषि	0.1416000(हेक्टेयर)	0.1416000
7	1098	निजी	गैर कृषि	0.5007420(हेक्टेयर)	0.5007420
8	1099	निजी	गैर कृषि	0.9407880(हेक्टेयर)	0.9407880
9	1106	निजी	कृषि/दुकान	0.1340000(हेक्टेयर)	0.1340000
10	1109	निजी	छप्पर	0.3844000(हेक्टेयर)	0.3844000
11	1112	निजी	छप्पर	0.0797000(हेक्टेयर)	0.0797000
12	2845	निजी	कृषि	0.1517000(हेक्टेयर)	0.1517000
13	986	निजी	गैर-कृषि/रास्ता	0.0387000(हेक्टेयर)	0.0387000
गांव का नाम: सुपवाल					
1	244	निजी	कृषि	0.0038000(हेक्टेयर)	0.0038000
2	244 min	निजी	कृषि	0.0089000(हेक्टेयर)	0.0089000
3	270 min	निजी	गैर कृषि/इमारत का बंद/दुकान/पेट्रोल	0.0164000(हेक्टेयर)	0.0164000

			पंप		
4	481	निजी	गैर मंकिन चोई	0.0367000(हेक्टेयर)	0.0367000
5	481 min	निजी	गैर मंकिन चोई	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
6	576	निजी	गैर कृषि	0.1720000(हेक्टेयर)	0.1720000
7	576 min	निजी	कृषि	0.0139000(हेक्टेयर)	0.0139000
कुल				3.4460	3.4460

[फा. सं. NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001/3A2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th January, 2022

S.O. 64(E).—Whereas In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building(widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Newly Proposed NE5 in the stretch of land from Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway Km 475.7 to Km500.6 (Samba) in the district of SAMBA in the U.T of JAMMU & KASHMIR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy Commissioner Samba (Administration Complex Samba) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in Newly Proposed NE5 in the stretch of Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway from Km. 475.7 to Km. 500.6 in the district of SAMBA in the U.T of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR			District: SAMBA		
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Vijaypur					
Village: Bagla					
1	1008	Private	Agriculture/Shop/Rasta	0.0539000(Hectare)	0.0539000
2	1009	Private	Agriculture/Shops	0.0569000(Hectare)	0.0569000
3	1014	Private	Agriculture/Rasta/Shop/House	0.0341400(Hectare)	0.0341400
4	1031	Private	Boundary wall and shops	0.1745000(Hectare)	0.1745000
5	1043	Private	Non-Agriculture	0.5007420(Hectare)	0.5007420
6	1092	Private	Agriculture	0.1416000(Hectare)	0.1416000
7	1098	Private	Non- Agriculture	0.5007420(Hectare)	0.5007420
8	1099	Private	Non- Agriculture	0.9407880(Hectare)	0.9407880
9	1106	Private	Agriculture/ Shop	0.1340000(Hectare)	0.1340000
10	1109	Private	shed	0.3844000(Hectare)	0.3844000
11	1112	Private	shed	0.0797000(Hectare)	0.0797000
12	2845	Private	Agriculture	0.1517000(Hectare)	0.1517000
13	986	Private	Non- Agriculture/ Rasta	0.0387000(Hectare)	0.0387000
Village: Supwal					
1	244	Private	Agriculture	0.0038000(Hectare)	0.0038000
2	244 min	Private	Agriculture	0.0089000(Hectare)	0.0089000
3	270 min	Private	Non agriculture/Plinth/Shop/Petrol Pump	0.0164000(Hectare)	0.0164000
4	481	Private	Gair Mumkin Choi	0.0367000(Hectare)	0.0367000
5	481 min	Private	Gair Mumkin Choi	0.0025000(Hectare)	0.0025000
6	576	Private	Agriculture	0.1720000(Hectare)	0.1720000
7	576 min	Private	Agriculture	0.0139000(Hectare)	0.0139000
Total				3.4460	3.4460

[F. No. NHAI/PIU/JAMMU/DAKP/001/3A2]

RAJESH GUPTA, Director